Prof. Dr. R. S. Sharma
Vice-Chancellor
MD, DM Cardiology
(AIIMS, New Delhi)

MP Medical Science University
NSCB College Campus Jabalpur
Pin-482 003
Phone: 0761-2670340, Fax: 0761-2670333
Mobile:- 9827066012
Email: docrssharma@gmail.com, web:-mpmsu.edu.in

क्रमांक / म.प्र.आ.वि.वि. / कुलपति / 2019 / 192 जबलपुर, दिनाँक 29 / 05 / 2019

प्रति,

समस्त अधिष्ठाता / प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय ,
(म.प्र. आयुर्विज्ञान वि.वि. से संबंद्ध)

विषयः– आपके महाविद्यालय के छात्रों की अध्ययन अवधि के विषय में ।

महोदय ,

आपको विदित है कि आपके महाविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का Tenure निश्चित है (Fixed) इसी तारतम्य में पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी। जिसमें स्पष्ट रूप से यह निर्देशित किया गया था कि विश्वविद्यालय द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन/ अन्य पूर्व घोषित अवकाशों के अतिरिक्त छात्रों को कोई भी अवकाश विश्वविद्यालय द्वारा मान्य नही है। इसके ब़ाद भी यह देखा जा रहा है कि छात्रों द्वारा परीक्षा समाप्त होने के बाद (विशेषकर प्रथम वर्ष की) परीक्षा के बाद परीक्षा के परिणाम आने तक एक लंबा अनाधिकृत अवकाश ले लिया जाता है जो कि मूल्यवान समय का पूर्णतः अपव्यय हैं, इसी तरह परीक्षा के पहले भी Preparation Leave अघोषित रूप से ले ली जाती है। इन कारणों से अगले वर्ष के Tenure की गणना में विरोधाभास उत्पन्न होता है एवं साढे चार वर्ष या अन्य Fix अवधि के कोर्सेस समय में संपन्न हो जाते है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा पुनः महाविद्यालयों को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैः–

"विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक Annual/ Professional परीक्षा समाप्त होने के <u>अगले कार्य दिवस</u> से ही अगले Prof. (कक्षा) का नियमित अध्ययन प्रारम्भ हो जायेगा।" <u>कोई अंतराल नहीं होगा</u>। किसी भी किस्म का अवकाश <u>अनाधिकृत</u> माना जायेगा और <u>परीक्षा परिणाम आने तक का भी समय अध्ययन में इस्तेमाल किया जाये</u> एवं Tenure में जोडा जायेगा जो भी छात्र/महाविद्यालय परीक्षा के बाद परीक्षा के परिणाम तक नियमित कक्षाएं attend/ आयोजित नहीं करते है वे Tenure पूर्ण न हो पाने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। जो छात्र मुख्य परीक्षा में तथा फिर पुनमूल्याकंन में भी अनुत्तीर्ण हो जाते है वे अगले Prof. (कक्षा) में अध्ययन करने हेतु अयोग्य माने जावेंगे, उत्तीर्ण छात्र (मुख्य परीक्षा/ पुनमूल्यांकन में) इस आगामी प्रोफेशनल कक्षा में अध्ययन चालू रखने हेतु अधिकृत माने जावेंगे एवं उनका Tenure भी गिना जावेगा।

Prof. Dr. R. S. Sharma
Vice-Chancellor
MD, DM Cardiology
(AIIMS, New Delhi)

MP Medical Science University
NSCB College Campus Jabalpur
Pin-482 003
Phone: 0761-2670340, Fax: 0761-2670333
Mobile:- 9827066012
Email: docrssharma@gmail.com, web:-mpmsu.edu.in

जो छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं (पुन: मूल्यांकन में भी) वे पिछली कक्षा में नियमित अध्ययन हेतु कक्षाऐं अटेंड करेंगे एवं तभी उन्हें पुन: नवीन पुनरावलोकित Internal Marks एवं परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त होगी/ उन्हें भी कोई अवकाश देय नही है वे नियमित कक्षाऐं Attend करे यह विश्वविद्यालय एवं प्रत्येक महाविद्यालय की जिम्मेदारी है कि हर कोर्स को नियत Duration में समाप्त किया जायें । (उदाहरण MBBS साढ़े चार वर्ष तथा PG Course तीन वर्ष इत्यादि।)

उपरोक्त कदम छात्रहित में समय पर Course सम्पूर्ण कराने हेतु आवश्यक है। इसके अलावा विश्वविद्यालय की attendance Policy (Zero Tolrence अनुपस्थिति) एवं MCI के मापदंड के अनुसार 75% उपस्थिति अत्यावश्यक है।

विश्वविद्यालय को भी MCI के सभी नियमों की जानकारी रहती हैं।

समस्त अधिष्ठाता एवं प्राचार्य एकेडमिक कैलेण्डर को सुचारू रूप से समय पर पूर्ण करने में विश्वविद्यालय को सहयोग करें।

डॉ. आर. एस. शर्मा
एम.डी. डी.एम. (कार्डियोलॉजी) एम्स नई दिल्ली
कुलपति
म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर।